2021/34

...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...ार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
9/21	136 LR Act	पीपल्या सरहद	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामकिशन	बनाम	सरकार

वकील :- राजेश लोधा

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22/2/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.03.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/4/21	कोरोना संक्रमण आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21.6.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
2/6/21	कोरोना संक्रमण ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में~~ व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 6/7/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
6/7/21	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 11.8.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

प्र.सं. 1/21 धारा 136 L.R.Act उनवान रामकिशन बनाम सरकार

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 फोलो अप कैम्प छबड़ा
23/6/22	पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के फोलो अप कैम्प/शिविर छबड़ा पर पेश हुई। प्रार्थी गण द्वारा प्रकरण धारा 136 L.R.Act के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पीपल्दा सरहद के खाता संख्या 37 में प्रार्थी का नाम रामकिशन के स्थान पर रामसिंह दर्ज कर दिया गया है जिसे अशुद्ध नाम रामसिंह के स्थान पर रामकिशन पुत्र नैना दर्ज किया जावे।
	प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट अनुसार ~~सही~~ प्रार्थी का सही नाम रामकिशन पुत्र नैनक राम है। आधार कार्ड व राशन कार्ड में भी रामकिशन पुत्र नैनकराम लोधा ही दर्ज है जबकि ग्राम पैजपुरा तहसील छबड़ा की जमाबंदी सम्वत 2076 - 2079 के खाता संख्या 37 में रामसिंह पुत्र नैना लोधा दर्ज है नामान्तरण सं. 169 दिनांक 26/11/2010 से भी राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र नैना ही दर्ज है।
	अतः रामसिंह पुत्र नैना के स्थान पर रामकिशन पुत्र नैनक राम दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।
	मैंने पत्रावली व तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 ग्राम पीपल्दा सरहद तह. छबड़ा खाता संख्या 37 में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र नैना दर्ज होना पाया जाता है तथा जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 29 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र नैना दर्ज होना पाया जाता है।
	इसी प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण नं. 169 के नैना पुत्र ... के फौत होने पर मुताबिक सजरा प्रार्थी का नाम रामकिशन दर्ज होना चाहिये था

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

परन्तु सहवन से रामकिशन के स्थान पर रामसिंह पुत्र नैना दर्ज होना पाया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र नैनकराम दर्ज होना पाया जाता है।

इस प्रकार तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि हेतखाता नं. 164 के सजरा अनुसार प्रार्थी का नाम रामकिशन दर्ज होना चाहिये था जो रामकिशन के स्थान पर रामसिंह दर्ज कर दिया गया है।

अतः भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र नैना के स्थान पर रामसिंह उर्फ रामकिशन पुत्र नैना उर्फ नैनकराम अशुद्ध नाम को शुद्ध किया जाना उचित समझते है।

ग्राम पीपल्या तहसील छबड़ा की जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 37 में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र नैना के स्थान पर रामसिंह उर्फ रामकिशन पुत्र नैना उर्फ नैनकराम दर्ज किये जाने के आदेश पर तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना सुनिश्चित करे। तहसीलदार को निर्णय प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

राजस्थान सरकार

"प्रशासन गाँव के संग अभियान–2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज०)

–: आदेश :–

प्रार्थी के ''खाता दुरुस्ती'' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी तेलनी व भू.अ.नि. फलिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~बारां/नायब तहसीलदार बारां~~ छबड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पीपलू सरहद तहसील ~~बारां~~ छबड़ा जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में खाता संख्या 37 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पीपलू सरहद	37	रामसिंह पुत्र नैना	रामसिंह उर्फ रामकिशन पुत्र नैना उर्फ नेनकराम

(मुहर: अधिकारी छबड़ा जिला–बारां)

सुरेशकुमार हरसोलिया
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक/रीडर/~~लोक अदालत~~ PGKS-छबड़ा/2022/244

दिनांक ~~23/06/2022~~ 21/7/22

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार छबड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामकिशन पुत्र नेनकराम उर्फ नैना निवासी फैजपुरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)